(36)

न्यायालय श्री मान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट

रीवा म0प्र0

निगरानी प्रकरण क्रमांक R 5494-दो/16 ~~2016~~

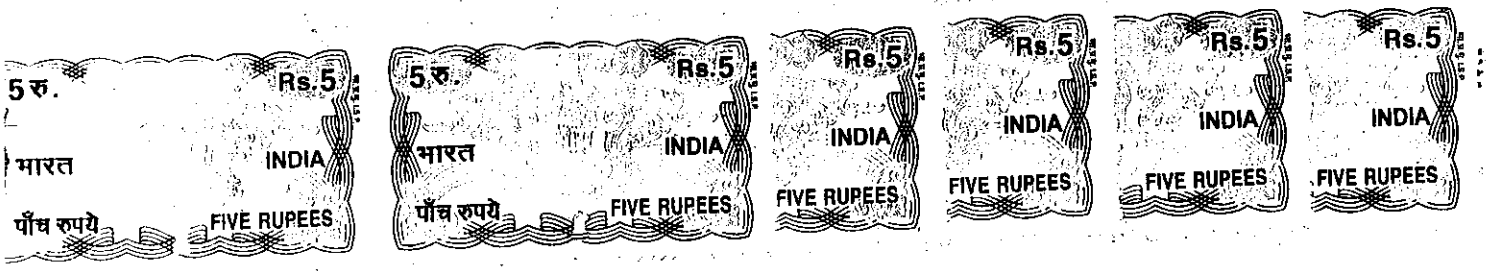

1- शिव सागर पिता वेदान्ती प्रसाद ब्रा0

2-वेदान्ती पिता स्व0 नारदमुनि ब्रा0 दोनों निवासीगण ग्राम खड़ौरा,

तहसील देवसर जिला सिंगरौली म0प्र0 ---- आपत्तिकर्तागण/ निगराकार

वनाम

1- श्यामवती पति जगदीश प्रसाद ब्रा0 उम्र 55 साल निवासीग्राम खड़ौरा,

तहसील देवसर जिला सिंगरौली म0प्र0

2- शासन म0प्र0 ---------- आवेदका/ गैरनिगराकारगण

आवेदक गण की ओर से श्री महेन्द्र कुमार ... एडवोकेट द्वारा आज दिनांक 08-11-16 पेश।
8-11-16
कलर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय सिंगरौली जिला सिंगरौली के प्रकरण क्रमांक 12अ74/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 18-10-2016

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता सन 1959ई0

मान्यवर, आवेदकगण का प्रार्थनापत्र निगरानी निम्नलिखित है:-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 5494–दो/2016 जिला सिंगरौली

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04–04–2017	आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर सिंगरौली के प्रकरण कमांक 12/अ–74/13–14 में पारित आदेश दिनांक 18–10–2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में उपलब्ध आदेश की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया। अपर कलेक्टर ने विस्तार से विवेचना कर सहायक बंदोबस्त अधिकारी सिंगरौली के प्रकरण कमांक 22/अ–74/84–85 में पारित आदेशदिनांक 31–3–85 को प्रभाव में माना है। अपर कलेक्टर ने यह भी पाया है कि आवेदकगण को उक्त आदेश की सक्षम न्यायालय में अपील करना चाहिए था। जबकि प्रश्नाधीन भूमि का अज्ञानता वस इत्तलावी न करा पाने के कारण अपर कलेक्टर ने संबंधित मूल अभिलेखों का परीक्षकण करते हुये प्रभाव में होने वाले आदेश का पालन राजस्व अभिलेख में करने के आदेश दिये हैं। अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होती है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस. एस. अली) सदस्य	